संख्या-1/2019/डी-18/38-2-2019-5 डब्लू(डी)/2015टीसी

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2019**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-162/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0/2018-19 (ग्रेच्युटी), दिनांक 04-01-2019, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु प्रावधानित कुल बजट धनराशि रू0 903.00 लाख (रूपये नौ करोड़ तीन लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने अन्यथा यथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018 /बी-1-375/10-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(5) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रावधानित बजट की 50 प्रतिशत अर्थात् धनराशि रू0 451.50 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्रावधानित कुल बजट धनराशि रू0 903.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2018 की व्यवस्थानुसार प्रावधानित बजट की 50 प्रतिशत अर्थात् धनराशि रू0 451.50 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/10-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा शासनादेश में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा तथा धनराशि को बैंक खाते या पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाईवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) धनराशि का अहारण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/10-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-1/2019/ डी-18/38-2-2019 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
8- ग्राम्य विकास अनु0-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।